पीजी मेडिकल छात्रा के शारीरिक उत्पीड़न के आरोपित डाक्टर को अग्रिम जमानत नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीजी मेडिकल छात्रा (डाक्टर) के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोपित डाक्टर आशीष सिन्हा को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनके न्यायिक जांच को प्रभावित करने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। डाक्टर आशीष सिन्हा ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सरकारी सेवा में होने के कारण गिरफ्तारी से करियर बर्बाद होने की दुहाई दी थी।

यह है मामला-एफआइआर के अनुसार, आरोपित डाक्टर पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज के एक प्रमुख विभाग के एचओडी हैं। उन्होंने एक पीजी छात्रा के साथ लगातार गंदी टिप्पणियां कीं और

बिलासपुर हाई कोर्ट। ● फाइल फोटो

उसे फेल करने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया। छात्रा ने पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो चार जुलाई 2025 को मजबूरन एफआइआर दर्ज करानी पड़ी। शिकायतकर्ता की ओर से वकील मधुनिशा सिंह ने अदालत में दलील दी कि पीड़िता एक प्रतिभाशाली छात्रा है, जिसने रूस के एक मेडिकल कालेज से स्वर्ण पदक हासिल किया है। आरोपित ने उसके करियर को नुकसान पहुंचाने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए साजिशन प्रयास किए। इसके अलावा आरोपित पर पूर्व में भी वर्ष 2020 में महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता , वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं।

यह दलीलें दी गईं-डा. आशीष सिन्हा की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया कि विभागीय विशाखा समिति की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। यह भी कहा गया कि वह सरकारी सेवा में हैं और यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा।

काल्पनिक पदोन्नति और पुनर्निरीक्षित पेंशन लाभ मिलेगा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सेवानिवृत्त उप-वनक्षेत्रपालों मंगलू राम बघेल और सीताराम को वन क्षेत्रपाल पद पर काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति प्रदान करे और इसके आधार पर उनके वेतन और पेंशन लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाए। यह आदेश उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने को पारित किया। उक्त नोशनल पदोन्नति के आधार पर उनके वेतन और पेंशन लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाए।

डायरिया पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः

जांजगीर-चांपा जिले के तीन विकासखंडों अकलतरा, नवागढ़ और पामगढ़ में तीव्र दस्त (डायरिया) रोग तेजी से फैल रहा है। अब तक 106 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों और शिविरों में किया जा रहा है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए स्वत: जनहित याचिका पर सुनवाई प्रारंभ कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि जिले में व्यापक रूप से रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर हाई कोर्ट ने प्रारंभिक संतोष जताया है।